आंबेडकर का जीवन किसी एक वर्ग या समय तक सीमित नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली चेतना का प्रतीक है

14 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के आत्ममंथन का अवसर है, क्योंकि यह उस व्यक्तित्व की जयंती है जिसने न केवल संविधान की रचना की, बल्कि समाज की जड़ता, असमानता और अन्याय को वैचारिक चुनौती देने का साहस भी दिखाया। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का जीवन किसी एक वर्ग या समय तक सीमित नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली चेतना का प्रतीक है। आज जब उनकी जयंती देशभर में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है—रैलियों, भाषणों, सरकारी कार्यक्रमों और डिजिटल अभियानों के माध्यम से—तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस दिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मपरीक्षण के रूप में देखें।

आंबेडकर के समय का भारत गहरे सामाजिक विभाजन से ग्रस्त था, जहाँ जाति केवल पहचान नहीं, बल्कि व्यक्ति के अवसरों, अधिकारों और जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला कारक थी। अस्पृश्यता, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार उस दौर की कठोर वास्तविकताएँ थीं। आंबेडकर ने इन परिस्थितियों को केवल देखा ही नहीं, बल्कि स्वयं भोगा भी। यही कारण है कि उनका संघर्ष सैद्धांतिक नहीं, बल्कि अनुभवजन्य और व्यावहारिक था। उन्होंने शिक्षा को परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन माना और कहा कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज अपनी बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ है। उन्होंने संविधान को केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को उन्होंने इस प्रकार समाहित किया कि वे केवल आदर्श न रहकर कानूनी अधिकार बन जाएँ। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई का प्रयास किया। परंतु उनका दृष्टिकोण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं था; उन्होंने बार-बार चेताया कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही, तो राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। आज, दशकों बाद, भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा का विस्तार हुआ है, तकनीकी विकास ने नए अवसर खोले हैं और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। आंबेडकर जयंती अब केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने वाली घटना बन गई है। बड़े शहरों में लाखों लोग एकत्र होते हैं, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ कार्यक्रम आयोजित करती हैं, और डिजिटल मंचों पर उनके विचारों की व्यापक चर्चा होती है। यह सब इस बात का संकेत है कि आंबेडकर का प्रभाव समय के साथ और अधिक व्यापक हुआ है।

फिर भी, इस व्यापकता के साथ एक गहरा विरोधाभास भी मौजूद है। एक ओर उनके नाम का सम्मान और उनकी छवि का महिमामंडन है, तो दूसरी ओर उनके विचारों के अनुपालन में कमी दिखाई देती है। राजनीतिक दलों द्वारा उनकी जयंती को अपने-अपने तरीके से प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि आंबेडकर अब केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि समकालीन राजनीति का केंद्रीय प्रतीक बन चुके हैं। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि उनके मूल सिद्धांत—संवैधानिकता, संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता—अक्सर व्यवहारिक राजनीति में कमजोर पड़ जाते हैं। वर्तमान भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हुए हैं। विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास किए गए हैं। परंतु इन प्रयासों के बावजूद, सामाजिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अवसरों की असमानता और जातिगत भेदभाव के नए रूप यह दर्शाते हैं कि समस्या अभी भी जटिल बनी हुई है। डिजिटल युग ने नई संभावनाएँ तो खोली हैं, लेकिन साथ ही नई चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ी है, परंतु वहीं नफरत और भेदभाव के नए रूप भी सामने आए हैं। यह स्थिति आंबेडकर की उस चेतावनी को याद दिलाती है कि केवल कानून बनाने से समाज नहीं बदलता, बल्कि उसके लिए मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। जब तक समाज के भीतर समानता और सम्मान की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक कोई भी कानूनी व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकती। आंबेडकर का लोकतंत्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। उन्होंने लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में देखा। उनके अनुसार, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में समानता और बंधुत्व की भावना हो। उन्होंने व्यक्तिपूजा और अंधभक्ति के खतरों के प्रति भी आगाह किया। आज जब राजनीतिक और सामाजिक विमर्श कई बार व्यक्तियों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाता है, तब उनकी यह चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखना आवश्यक है कि आंबेडकर के विचारों को किस प्रकार शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उनके योगदान को पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार यह अध्ययन केवल परीक्षा तक सीमित रह जाता है। यदि उनके विचारों को वास्तव में समाज में लागू करना है, तो उन्हें केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा।

आंबेडकर जयंती के अवसर पर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या हम उनके द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पा रहे हैं। आज के समय में जब विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं, तब संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज को एकजुट रखने का माध्यम भी है। यदि हम इसके मूल सिद्धांतों से दूर होते हैं, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ सकती है। ‘तब और अब’ के इस विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी हैं। आंबेडकर का सपना केवल एक ऐसे समाज का निर्माण करना नहीं था जहाँ कानून समान हो, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जहाँ हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। यह लक्ष्य अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है, और यही कारण है कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आगे की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि हम आंबेडकर के विचारों को केवल प्रतीकात्मक रूप से न अपनाएँ, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार में उतारें। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि समानता और न्याय केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम हैं।

अंततः, आंबेडकर जयंती केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं—एक ऐसा समाज जो केवल विकास के आंकड़ों पर गर्व करे, या एक ऐसा समाज जो समानता, न्याय और मानव गरिमा के मूल्यों को वास्तव में अपनाए। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से खोजने का प्रयास करें, तो यही इस दिन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, साहित्यकार, स्वतंत्र स्तंभकार, और शोधार्थी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश

समावेशी शिक्षा

हम अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं कि शिक्षा सबके लिए है। सुनने में यह बात बहुत सुंदर लगती है। भाषणों में भी अच्छी लगती है, सरकारी दस्तावेजों में भी, और स्कूलों के बोर्ड पर भी। लेकिन ज़मीन पर उतरते ही यह दावा कई जगह लड़खड़ा जाता है। सच यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अब भी हर बच्चे के लिए बराबर नहीं बनी है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल रास्ता है, कुछ के लिए संघर्ष, और कुछ के लिए बंद दरवाज़ा। यही वह जगह है जहाँ समावेशी शिक्षा की चर्चा केवल नीति का विषय नहीं रहती, बल्कि न्याय का प्रश्न बन जाती है।

समावेशन का अर्थ बहुत लोगों ने गलत समझ रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त सहानुभूति है। कुछ इसे दया का भाव समझते हैं। कुछ इसे ‘स्पेशल अरेंजमेंट’ कहकर किनारे रख देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समावेशी शिक्षा किसी पर एहसान नहीं है। यह शिक्षा की मूल आत्मा है। यदि शिक्षा सचमुच मानव विकास का माध्यम है, तो उसमें हर तरह के बच्चे के लिए जगह होनी चाहिए—चाहे वह शारीरिक रूप से अलग हो, मानसिक रूप से अलग हो, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर हो, किसी दूर क्षेत्र से आता हो, किसी दूसरी भाषा में सोचता हो, या सीखने की गति अलग रखता हो।

समस्या यह है कि हमने लंबे समय तक ‘सामान्य’ विद्यार्थी की एक तस्वीर बना ली। जो बच्चा तय गति से सीखे, तय ढंग से लिखे, तय समय में उत्तर दे, तय ढाँचे में फिट हो—उसे आदर्श मान लिया गया। जो इस ढाँचे से थोड़ा भी अलग निकला, उसे समस्या मान लिया गया। यही सोच सबसे बड़ी गड़बड़ी है। असल समस्या बच्चा नहीं होता; समस्या वह व्यवस्था होती है जो विविधता को संभालना नहीं जानती।

एक व्हीलचेयर पर बैठा बच्चा स्कूल पहुँचता है और भवन में रैम्प नहीं है—तो कमी बच्चे में नहीं, भवन में है। एक दृष्टिबाधित छात्रा को उचित अध्ययन सामग्री नहीं मिलती—तो कमी उसकी दृष्टि में नहीं, हमारी व्यवस्था की दृष्टि में है। कोई बच्चा सीखने में थोड़ा अधिक समय चाहता है, लेकिन पूरी कक्षा एक ही छड़ी से हाँकी जा रही है—तो दोष उस बच्चे का नहीं, उस पद्धति का है जो इंसानों को मशीन की तरह चलाना चाहती है।

आज समावेशी शिक्षा का सवाल और गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि समाज में असमानताएँ कई रूपों में एक-दूसरे से जुड़ रही हैं। गरीबी, लिंग, भाषा, क्षेत्र, तकनीकी पहुँच, पारिवारिक स्थिति, विकलांगता—ये सब अलग-अलग दीवारें नहीं हैं; कई बार ये मिलकर एक बच्चे के सामने पूरी दीवार खड़ी कर देती हैं। ऐसे में केवल यह कहना कि ‘सबका प्रवेश खुला है’, काफी नहीं। दरवाज़ा खुला होना और भीतर तक पहुँचना, दोनों अलग बातें हैं।

समावेशी शिक्षा का पहला सिद्धांत है सम्मान। किसी बच्चे को इस तरह मत देखिए कि वह ‘कम’ है। वह अलग हो सकता है, लेकिन कम नहीं। उसकी सीखने की शैली अलग हो सकती है, उसकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, उसकी गति अलग हो सकती है। शिक्षा का काम उसे बदलकर एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि उसके भीतर की क्षमता को उसके तरीके से विकसित करना है। यही वह मानवीय दृष्टि है जो अभी भी हमारी कई संस्थाओं में कम दिखाई देती है।

दूसरी बड़ी बात है पहुँच। पहुँच केवल भवन तक सीमित नहीं है। पहुँच का मतलब पाठ्यपुस्तक, भाषा, तकनीक, परीक्षा पद्धति, गतिविधियाँ, खेल, संवाद, परामर्श—हर स्तर पर बराबरी का अवसर। यदि कोई छात्र कक्षा में बैठ तो सकता है, लेकिन पाठ समझने के साधन उसके पास नहीं हैं, तो यह आधा समावेशन है। यदि स्कूल में नामांकन है, लेकिन सहभागिता नहीं है, तो यह केवल आँकड़ा है, शिक्षा नहीं।

तीसरी बात है शिक्षक की तैयारी। सच कहें तो समावेशी शिक्षा की सफलता का सबसे बड़ा आधार शिक्षक है। नीति बना देना आसान है, पर कक्षा में उसे जीना कठिन है। शिक्षक को यह समझना होगा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीखते। उसे पाठ को कई तरीकों से समझाने की आदत डालनी होगी। उसे धैर्य रखना होगा। उसे करुणा और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा। उसे यह भी सीखना होगा कि किसी बच्चे की कठिनाई को उसकी अक्षमता मान लेना एक गंभीर गलती है। हमारे यहाँ एक और दिक्कत है—समावेशन की चर्चा तो होती है, पर उसके लिए संसाधन बहुत सीमित दिए जाते हैं। संस्थान से कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलो, लेकिन न पर्याप्त प्रशिक्षण, न विशेषज्ञ सहयोग, न सहायक सामग्री, न तकनीकी साधन। ऊपर से दिखावे की संस्कृति अलग। रिपोर्ट में लिख दिया जाता है—‘समावेशी वातावरण उपलब्ध है’। कागज़ मुस्कुराता रहता है, लेकिन कई बच्चे चुपचाप पीछे छूटते रहते हैं।

यह भी समझना जरूरी है कि समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही लाभकारी नहीं होती; यह पूरी कक्षा को बेहतर बनाती है। जब बच्चे विविधता के साथ पढ़ते हैं, तो उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। वे दूसरों के अनुभवों को समझना सीखते हैं। वे सहयोग करना सीखते हैं। वे यह समझते हैं कि क्षमता के कई रूप होते हैं। यह सीख किसी पाठ्यपुस्तक से नहीं दी जा सकती; यह सह-अस्तित्व से आती है। इसलिए समावेशी कक्षा केवल शिक्षा का मॉडल नहीं, बेहतर समाज का अभ्यास भी है।

हमारे समय की एक कठोर सच्चाई यह भी है कि हम ‘मेरिट’ की बात बहुत करते हैं, पर उसके पीछे छिपी असमानताओं को कम ही देखते हैं। मेरिट तब तक अधूरी अवधारणा है जब तक अवसर बराबर न हों। जिस बच्चे को शुरुआत से संसाधन, सहयोग, निजी मार्गदर्शन, डिजिटल साधन और सुरक्षित वातावरण मिला हो, और जिस बच्चे ने हर मोड़ पर बाधाएँ देखी हों—दोनों को एक ही पैमाने पर नापना न्याय नहीं, सुविधा है। समावेशी शिक्षा इस सुविधा को चुनौती देती है। वह कहती है कि समानता का मतलब सबको एक जैसा दे देना नहीं; बल्कि हर बच्चे को वह देना है जिसकी उसे सच में जरूरत है।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अब यह दिखावा छोड़ना होगा कि समावेशन एक ‘ऐड-ऑन’ है। यह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय नहीं, बल्कि संस्थागत चरित्र का प्रश्न है। क्या आपके भवन सुलभ हैं? क्या आपकी भाषा संवेदनशील है? क्या आपकी परीक्षा प्रणाली लचीली है? क्या आपके शिक्षक प्रशिक्षित हैं? क्या आपकी पाठ्यसामग्री विविध बच्चों के लिए उपयोगी है? क्या आपके यहाँ बच्चों को शर्मिंदा किए बिना सहायता मिलती है? इन प्रश्नों से बचकर कोई भी संस्था आधुनिक और मानवीय होने का दावा नहीं कर सकती।

समय आ गया है कि हम समावेशी शिक्षा को नीति की फाइल से निकालकर कक्षा की मेज पर रखें। हर बच्चा केवल प्रवेश का अधिकारी नहीं, गरिमा के साथ सीखने का अधिकारी है। उसे बैठने की जगह ही नहीं, बढ़ने की जगह भी चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम शिक्षा को प्रतिस्पर्धा की फैक्टरी नहीं, मनुष्य निर्माण की भूमि मानेंगे। सीधी बात यह है—समावेशन कोई सजावटी शब्द नहीं है। यह शिक्षा की रीढ़ है। जो व्यवस्था सभी बच्चों को साथ लेकर नहीं चल सकती, वह कितनी भी चमकदार क्यों न लगे, भीतर से अधूरी है। शिक्षा का असली चेहरा वही होगा जहाँ किसी बच्चे को यह महसूस न हो कि वह ‘अलग’ होने के कारण कम है। वहाँ वह जाने कि उसकी जगह बनी हुई है, उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, और उसकी क्षमता पर भरोसा किया जाएगा। यही शिक्षा का धर्म है। यही समाज का भी।

आनंद मोहन मिश्र, विवेकानंद केंद्र विद्यालय जयरामपुर, चांगलांग जनपद, अरुणाचल प्रदेश
दूरभाष - 9436870174

वैष्णव परिषद द्वारा बधाई कीर्तन का किया गान, सुबह निकाली प्रभात फेरी

आगर-मालवा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा तीन दिवसीय श्रीवल्लभ जयंती महामहोत्सव के अंतर्गत रविवार को मूंदड़ा निवास यमुना निकुंज अनुपम वस्त्रालय हाटपुरा में वल्लभाचार्य जी की बधाई कीर्तन का गान हुआ। उसके पहले सभी वैष्णवों ने मंगलाचरण यमुनाष्टक एवं श्री सर्वोत्तम स्त्रोत का पाठ एवं जप किया। इसके बाद आरती की गई पश्चात प्रसादी वितरित कि गई। सोमवार सुबह नगर के विभिन्न मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें वैष्णवजन कीर्तन करते एवं जय कारे लगाते हुए चल रहे थे।इस अवसर पर प्रदीप मेठी ,प्रवीण मूंदड़ा ,रामप्रसाद अटल, आशुतोष देसाई, राजेश देसाई, रमेश अटल, राजेश मेठी, गोविंद जाजू, श्याम पालीवाल, गोविंद शर्मा, बंशी पालीवाल, कैलाश पालीवाल, नवीन मूंदड़ा, महेश अटल, नरेन्द्र शर्मा, नंदन पालीवाल सहित वैष्णव उपस्थित थे। उक्त जानकारी परिषद के सचिव प्रमोद जोशी ने दी।

लड़की को इंस्टाग्राम पर मैसेज करने वाले युवक को नायब तहसीलदार ने भेजा जेल

आगर मालवा। जिले के नलखेड़ा में इंस्टाग्राम पर एक युवक द्वारा लड़की को मैसेज करना भारी पड़ गया। नायब तहसीलदार ने उक्त युवक को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। लड़की के परिजनो द्वारा थाना नलखेड़ा में युवक के विरुद्ध शिकायती आवेदन थाने में दिया था। नलखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को इंस्टाग्राम पर एक युवक कालू उर्फ सोहेल पिता भूरे का निवासी नयापुरा नलखेड़ा द्वारा एक लड़की को मैसेज भेजना भारी पड़ गया। लडकी के पिता ने युवक को बुला कर समझाने का प्रयास किया। इस पर युवक समझने की बजाय अभद्र शब्दो का प्रयोग करने लगा तथा मरने मारने पर उतारू हो गया। जिससे आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। लड़की के परिजनो ने थाना नलखेड़ा में शिकायत की । पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126, 170, 135 (3) अंतर्गत इस्तगासा नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अरूण चंद्रवंशी के सामने पेश किया। नायब तहसीलदार चंद्रवंशी ने आरोपी कालू उर्फ सोहेल को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया है? ।

भाजपा उज्जैन जिला ग्रामीण का कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन का आयोजन संपन्न

महिदपुर। भारतीय जनता पार्टी उज्जैन जिला ग्रामीण का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दिखाया।इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर,जिला पंचायत सदस्य अजीत परमार,जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा सोनी,जिला महमंत्री राकेश यादव,जिला मंत्री रितु पाटीदार,जिला कोषाध्यक्ष ज्योति पलोड़,पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष साधना जैन,महिला मोर्चा जिला महामंत्री मनीषा शर्मा और महिला मोर्चा जिले की पदाधिकारी बहनें उपस्थित थीं कार्यक्रम का संचालन श्रीमती उमा पांडे ने किया,आभार ललिता परमार ने माना।

सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की

भारत सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अपने सिस्टम को काफ़ी मज़बूत बनाया है। साथ ही, सरकार ने देश भर में वास्तविक उपभोक्ताओं तक बिना किसी रुकावट के स्वच्छ ईंधन पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत, अकेले 11 अप्रैल, 2026 को 2,700 से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर छापे मारे गए। इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य अनियमितताओं का पता लगाना, घरेलू एलपीजी के गलत इस्तेमाल को रोकना और वितरण नेटवर्क में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के अचानक इंस्पेक्शन के साथ अपनी निगरानी तेज़ कर दी है। इन कड़े निरीक्षणों के बाद, 219 डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि तय नियमों का उल्लंघन करने वाले 56 डिस्ट्रीब्यूटरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ओएमसी ने ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को बढ़ावा देने और लास्ट-माईल पहुँच सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के प्रयासों को भी बढ़ाया है। पिछले आठ दिनों में लगभग 3,300 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से 5 किलोग्राम वाले 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (एफटीएल) सिलेंडरों की उपलब्धता और उन्हें अपनाने पर ज़ोर दिया गया है; इन अभियानों के दौरान ऐसे 35,800 से ज़्यादा सिलेंडर बेचे गए। ये सभी प्रयास प्रवासी और वंचित आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। निगरानी और जागरूकता के ये उपाय भारत की एलपीजी वितरण प्रणाली के मज़बूत बनाते हैं। घरेलू आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास एलपीजी की कमी (स्टॉक खत्म होने) की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सिर्फ 11 अप्रैल, 2026 को, पूरे देश में 52.3 लाख से ज़्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई; यह आँकड़ा दुनिया भर में बदलती परिस्थितियों के बावजूद भी निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। सरकार का सक्रिय और शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण उपभोक्ताओं की सुरक्षा, सिस्टम की अखंडता और ज़रूरी ऊर्जा संसाधनों की एकसमान पहुँच सुनिश्चित करने पर की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

जिले में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का सजीव प्रसारण देखा गया

आगर-मालवा। भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' का सोमवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज एवं वेबकास्ट के माध्यम से किया गया, जिसे जिले के नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न शासकीय संस्थानों में बड़ी संख्या में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों ने देखा एवं सुना। जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में भी सम्मेलन का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया, जहां उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक देखा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संदेशों को आत्मसात किया।

पोषण पखवाड़ा 2026 के तहत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित

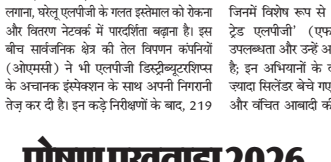

मोहन बड़ोदिया / सोमवार को पोषण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में किया गया। इस अवसर पर नरेन्द्र मोदी के लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा और सुना।कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया द्वारा की गई। इस दौरान पोषण पखवाड़ा के तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, हरी सब्जियों एवं फलों के नियमित सेवन की सलाह दी गई, ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में आरती पडोले, मनोहर लाल नागर, ओमप्रकाश मालवीय, महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक चारु ठाकुर, जया मालवीय सहित अन्य अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने और समाज में स्वस्थ खानपान की आदतों को अपनाने का संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन का हुआ प्रसारण, स्थानीय आहार अपनाने पर दिया गया जोर

महिदपुर में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार

स्मैक तस्करी में तीन आरोपी गिरफ्तार

80 हजार की स्मैक बरामद,पुलिस जांच में बड़े नेटवर्क के खुलासे के संकेत

उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई जिसे क्षेत्र में चल रहे नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

पुलिस के अनुसार,मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित कर गंगावाड़ी क्षेत्र में दबिश दी गई।मौके पर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक पाउडर बरामद हुआ।आरोपी से पूछताछ में नशे के इस नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुईं जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल लगभग 80 हजार रुपये कीमत की स्मैक बरामद की गई है।पकड़े गए आरोपियों में सलमान पिता मकसूद अहमद निवासी केशरपुरा इंदिरा कॉलोनी महिदपुर,जाहिद शाह पिता शहजाद शाह निवासी फकीर मोहल्ला महिदपुर तथा अनिल राठौर पिता प्यारेलाल निवासी टापरी मोहल्ला महिदपुर रोड शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में नशे की सप्लाई कर रहे थे और इस नेटवर्क से अन्य लोगों के जुड़े होने की भी संभावना है। महिदपुर पुलिस अब इस पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में फैल रहे नशे के जाल पर लगाम लगेगी तथा युवाओं को इस घातक लत से बचाया जा सकेगा।

पूर्व पार्षद पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, प्रकरण दर्ज

आष्टा। नगर में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद पर उनकी ही रिश्तेदार 30 वर्षीय विवाहिता महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। घटना के पांच दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पार्वती थाना प्रभारी हरिसिंह परमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व पार्षद बाबूलाल मालवीय पर आरोप है कि वह महिला को घुमाने के बहाने अलीपुर बायपास स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया तथा कमर पकड़कर छेड़छाड़ की। मामले में पार्वती थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 109/26 के तहत धारा 75(1)(द्व) बीएनएस एवं 351(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पार्वती थाना प्रभारी हरिसिंह परमार का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।